for setting up pre-loom and post-loom processing facilities;

(vi) Special rebate at the rate of 20 per cent on sale of handloom products;

(vii) Janata cloth Scheme;

(viii) Thrift Cloth Scheme;

(ix) Workshad-cum-Housing Scheme;

(x) Reservation of 22 items for exclusive production in the handloom sector through the Handloom (Reservation of Articles for Production) Act, 1985.

(b) Financial assistance under various schemes is provide to all States, including Uttar Pradesh, on the basis of the proposals received from concerned States Governments every year. It has been reported that about 1,10.000 handloom weavers have been benefitted under various schemes implemented in U.P., Handlooms Corporation and U.P. Industrial Cooperative Association.

Credit to Guyana for setting up export oriented projects

3499. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India gave credit of Rs. 18 crores to Guyana for the setting up of export-oriented projects in that country; and

(b) if so, what are the details of the terms and conditions?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Government of India has agreedj in principle, during the first meeting of the Indo-Guyanese Joint Commission held in New Delhi from 16 to 18 January, 1989, to make available to the Government of Guyana a line of credit upto an amount of Rs. 100 million. Ordinarily the terms of credit extended by Government of India include a repayment period of upto 15 years, and a rate of interest of 5 per cent annum.

विभिन्न राज्यों को ऋण दिये जाने में समानता

3500. श्री अजित जोगी :
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि राज्यों को ऋण दिये जाने के मामले में विभिन्न राज्यों के बीच भारी असमानता है।

(ख) यदि हां, तो सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये जाने का विचार है कि विभिन्न राज्यों को दिये गये ऋण उनकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात में हों, और

(घ) क्या वाणिज्यिक बैंक अथवा सरकार पिछड़े राज्यों को, जैसे मध्य प्रदेश, जिसे अपने समकक्ष अन्य राज्यों की तुलना में 10 गुना कम ऋण उपलब्ध किया गया है, ऐसे ऋणों का प्रवाह बढ़ाने के लिए कोई नये कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सकल ऋणों तथा सकल अनुदानों के रूप में दी जाती है। केन्द्रीय सहायता का आवंटन राजकीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित एक फार्मूले के आधार पर किया जाता है जिसके अन्तर्गत विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकमुश्त राशि अलग से रख दी जाती है तथा केन्द्रीय सहायता की शेष राशि बाकी राज्यों के बीच नीचे लिखे तरीके से बांटी जाती है :—

(i) जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत

(ii) जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से नीचे है, उन्हें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 20 प्रतिशत

(iii) कर उपलब्धि के आधार पर 10 प्रतिशत

(iv) राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए 10 -

चूंकि केन्द्रीय सहायता निष्पक्ष दृष्टि से सूत्रबद्ध मापदंड के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है, अतः राज्यों को ऋण मंजूर करने में उनके बीच असमानता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) मध्य प्रदेश में दिसम्बर, 1985 के अन्त से सितम्बर, 1988 के अन्त तक बैंक ऋण में वृद्धि 68.9% थी जो 41% की अखिल भारतीय वृद्धि दर से अधिक थी । तथापि, बैंकों को ऋण विस्तार में विभिन्न राज्यों के बीच भारी असमानता से बचने को सुनिश्चित करने तथा कमी वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि करने हेतु कदम उठाने की सलाह दी गई है । इन नीतियों का उद्देश्य बैंक अवसंरचना में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा ऋण प्रवाह कराए रखना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा अर्थ-व्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं, जिला ऋण योजनाएं और "लीड बैंक स्कीम" तैयार करने के संबंध में मार्ग-निर्देश तैयार किए जाते हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों पर सीमा शुल्क का समाप्त किया जाना

3501. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे पुरस्कारों, पर से, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों,, कलाकारों और खिलाड़ियों ने जीते जाते हैं, सीमा शुल्क और अन्य कर समाप्त करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को, जो हमारे राष्ट्र का गौरव हैं, क्या सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) भारत सरकार के अनुमोदन से अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेकर भारतीय टीमों द्वारा जीते गए विभिन्न कपों व ट्राफियों पर तथा भारतीय टीम के अलग-अलग सदस्यों द्वारा जीते गए पुरस्कारों, मैडलों व ट्राफियों पर सीमा शुल्क संबंधी रियायतें उपलब्ध हैं ।

वैज्ञानिक अथवा कलात्मक कार्य/उपलब्धि के लिए अथवा क्रीड़ाओं और खेलों में दक्षता के लिए, केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए अथवा इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुरस्कार आयकर से मुक्त हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Relaxations under duty exemption scheme

3502. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any modifications have been announced recently relaxing the Policy governing the duty exemption ,che. me;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what benefits would accrue to the exporters therefrom?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) to (c) The Import-Export Policy is kept constantly